



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : शोध/ 7841

दिनांक :- 28.12.2024

विषय :- समाजशास्त्र

विज्ञप्ति

यू०जी०सी० पी०एच०-डी० रेगुलरशन्स, 2016 एवं चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ शोध अध्यादेश, 2022 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विषय-समाजशास्त्र विषय में पी०एच०-डी० में प्रवेश हेतु अर्ह अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों से इस कार्यालय विज्ञप्ति संख्या-शोध/7616 दिनांक 27.11.2024 द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म आमंत्रित किये गये थे। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 17.12.2024 को आयोजित कराये गये थे।

साक्षात्कार के उपरान्त चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में पी०एच०-डी० में प्रवेश हेतु औपबन्धिक रूप से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है :-

SECOND LIST-EXEMPTED-SOCIOLOGY							
Sl.N.	ID	Reg. No.	Name	Father Name	Cat.	Exempted Category	Marks in Interview
1	11740	117401	GAATHA BHATNAGAR	TARUN KUMAR BHATNAGAR	EWS	JRF	26
2	11747	117475	TANU KUMARI	MUNIRAM	OBC	NET	25
3	11745	117457	BHAWNA YADAV	PRAVEEN YADAV	OBC	NET	24

सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह दिनांक 01.01.2025 तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित शोध विभाग में प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे के मध्य अपने समस्त अभिलेखों यथा-आवेदन फार्म की प्रति, प्रवेश पत्र की प्रति, समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं आरक्षण श्रेणी इत्यादि की स्वः प्रमाणित छायाप्रति के साथ कोर्सवर्क हेतु निर्धारित फीस का ड्रॉफ्ट/ऑनलाइन पैमेंट रिसीट जमा करे। उक्त तिथि तक अभिलेख व कोर्सवर्क फीस जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं उनके प्रवेश पर भविष्य में विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी समय अर्हता सम्बन्धी तथ्य गलत पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

01. Each students shall pay a sum of Rs. 25000/-only (Rs.12500/-in case of SC/ST candidate) as a fee for course work. (Demand Draft/NEFT in favor of F.O. Ch. Charan Singh University, Meerut) A/C No. 50199470125 Bank Name Indian Bank, Meerut University, IFSC code No. IDIB000M690.

उप कुलसचिव (शोध)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति।
02. संकायाध्यक्ष (कला)।
03. विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यह विज्ञप्ति विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित करे।
05. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
06. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एंजेसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (शोध)